भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 802

गुरुवार, 07 दिसंबर 2023/16 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

फ्लाइट ड्यूटी समय में कमी

802. डॉ. रामशंकर कठेरिया:
श्री जनार्दन मिश्रः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नागर विमानन क्षेत्र में पायलटों और उड़ान दल के सदस्यों की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए उनके फ्लाइट ड्यूटी समय में कमी करने की कोई कार्य योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पायलटों के क्रमशः दिन और रात्रि के लिए प्रस्तावित ड्यूटी समय क्या हैं:

(ग) क्या सरकार को पायलटो की थकान के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) से (घ): पायलटों का ड्यूटी अनुसूची नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) नियमों पर आधारित है। डीजीसीए विश्व भर में सर्वोत्तम परिपाटियों और हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर नियमों को अद्यतन करने का लगातार प्रयास करता है। डीजीसीए ने हाल ही में नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) धारा 7 श्रृंखला जे भाग III के तहत पायलटों के लिए एफडीटीएल (उड़ान ड्यूटी समय सीमा) पर विनियम को फिर से तैयार किया है, जिसे सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए डीजीसीए की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

डीजीसीए को पायलटों की थकान के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

*****